नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना
निबंधित कार्यालय – विद्युत भवन, बेली रोड, पटना
(CIN- U40109BR2012SGC018920)
(वाणिज्य विभाग)
ईमेल– cecom.nbpdcl@gmail.com

पत्रांक: 03
दिनांक 03-01-2018

N-VI/vividlokayukt-4018/17

प्रेषक:

डी0एन0 तिवारी
मुख्य अभियंता (वाणिज्य)

सेवा में,

सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता
विद्युत आपूर्ति अंचल
सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता
विद्युत आपूर्ति प्रमंडल
सभी सहायक विद्युत अभियंता
विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल
एन0बी0पी0डी0सी0एल0।

विषयः– उपभोक्ता को नया विद्युत संबंध देने के लिए दिशा–निर्देश के संबंध में।

महाशय,

ऐसे प्रसंग संज्ञान में आये हैं, जहाँ नये विद्युत संबंध देने में एक पक्ष के आवेदन पर किसी अन्य पक्ष से परिसर के स्वामित्व आदि पर दावे/प्रतिदावे किये जाते हैं। एसे मामलों मे यह स्पष्ट करना है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 43 (1) , बिहार इलेक्ट्रीक स्पलाई कोड– 2007 की कंडिका 4.1 एवं चैप्टर 4 के द्वितीय संशोधन के फलस्वरूप कंडिका 4. 13 (A) एवं 4.13 (B) के अनुसार आवेदक को विद्युत संबंध प्रदान किया जाना है । आवेदित परिसर पर आवेदक के स्वामित्व संबंधी विवादों के निर्णय का अधिकार कंपनी को नहीं है। इस संदर्भ में बिहार इलेक्ट्रीक स्पलाई कोड– 2007 की कंडिका 4.13 (B) का Last Para द्रष्टव्य है जो कि निम्न प्रकार से है–

" However the release of the electric connection does not confer any legal right over the premises whatsoever in any manner".

अतएव आवेदन प्राप्ति के एक माह के अंदर आवेदक के परिसर में विद्युत की आपूर्ति कर देना है क्योंकि वितरण लाईसेन्सी के द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 कीउप कंडिका 43 (3) में निर्धारित समय–सीमा के अंदर
विद्युत संबंध प्रदान करने में विफल होने पर दंड का प्रावधान है जो 1000 रूपये प्रतिदिन तक हो सकती है। विद्युत अधिनियम 2003 की कंडिका 43 (3) नीचे उद्धृत की जाती है –

"If a distribution licensee fails to supply the electricity within the period specified in sub-section (1), he shall be liable to a penalty which may extend to one thousand rupees for each day of default".

विश्वासभाजन

02/01/2018

डी0एन0 तिवारी

मुख्य अभियंता (वाणिज्य)